सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 250 राँची, गुरुवार, 31 वैशाख, 1948 (श०) / 21 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2024

ज्ञापांक:-08/म०स०/यो०-109/2023-2264--

विषयः राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग पेंशन योजना केक्रियान्ययनमें संशोधन की स्वीकृति।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-2518 दिनांक-12.09.2023 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग पेंशन योजना संचालित है। योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिमाह प्रति लाभुक रू०-1,000/- (एक हजार रुपये) की आर्थिक सहायता बैंक खाते में ABPS/PFMS वो माध्यम से भुगतान किया जाता है ।

2) योजनाम्तर्गत लाभुकों की पात्रता संबंधी शर्तों में लाभुक का केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित होने का उल्लेख नहीं है। अतःसम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-2518 दिनांक-12.09.2023 के कंडिका-3 (c) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है-

"आवेदक स्वयं केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित अथवा सेवानिवृत्त तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।"

3) राज्य योजनान्तर्गत संचालित इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की निकासी जिन शीर्षोंकेउपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगी, उनका विवरण निम्नानुसार है-

(क)जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- बजट का मुख्य शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, **लघु शीर्ष-796**-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-16-मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना ।

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट का मुख्य शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, **लघु शीर्ष-102**-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप शीर्ष-16-मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना ।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- बजट का मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, **लघु शीर्ष-789**-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-16-मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना।

4) विभागीय संकल्प संख्या-2518 दिनांक 12.09.2023 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5) उक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनाक 06.09.2024 की बैठक के मद संख्या-10 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 250 - 50